

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं० 23/2018-एकीकृतकर (दर)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2018

सा.का.नि.....(अ) केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद्की सिफारिश पर ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, सा. का. नि. संख्यांक 1263 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 32/2017-एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 और जिस को सा. का. नि. 595 (अ) तारीख 29 जून, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.13/2018-एकीकृत कर (दर), तारीख 29 जून, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, '30 सितम्बर, 2018' अंकों और शब्द के स्थान पर '30 सितम्बर, 2019' अंक और शब्द रखा जाएगा।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)

अवरसचिव, भारतसरकार

टिप्पण--: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का. नि. 1263 (अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 32/2017 एकीकृत कर (दर), तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार संशोधन सा. का. नि. 595 (अ), तारीख 29 जून, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 13/2018-एकीकृत कर (दर), तारीख 29 जून, 2018, द्वारा किया गया था।